

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001, टेलि.सं.- 0124-4126285-86 फैक्स- 0124-4126574 ई-मेल- mbd@obc.co.in		Oriental Bank of Commerce (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) Merchant Banking Division, Corporate Office 1st Floor , Plot No.5, Institutional Area, Sector - 32 Gurgaon -122001 (Haryana) Tel.: 0124-4126285-86 Fax : 0124-4126574 E-mail: mbd@obc.co.in
---	---	---

HO/MBD/2017

01.06.2017

The Executive Director, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai- 400001
--	---

Dear Sir/Madam,

Reg. Notice of 23rd Annual General Meeting of the Bank and Book Closure

This is to inform that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Thursday, 29th June 2017 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

In compliance of Regulation 42 of SEBI Listing Regulations read with Regulation 12 of Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **23rd June 2017 to 29th June 2017 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Bank has provided its shareholders the option to exercise voting rights through remote e-voting provided by CDSL from **26th June 2017 (09.00 a.m.) to 28th June 2017 (05.00 p.m.)** w.r.t. business to be transacted at the AGM.

The cut-off date for Remote e-voting/voting at the venue of the meeting will be **Thursday, 22nd June 2017.**

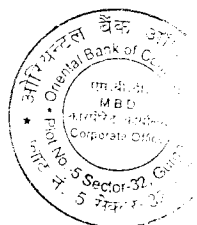
A copy of Notice of the Annual General Meeting is enclosed.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,


Company Secretary

Encl.: As Above



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce

वार्षिक आम बैठक की सूचना
Notice for Annual General Meeting



सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार 29 जून, 2017 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: "31 मार्च, 2017 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।"

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) के साथ पठित, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से "ओबीसी विनियम" कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/ अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियमन/दिशा-निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा / या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, बैंक के शेयरधारकों को एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (तत्पश्चात बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/ या निर्गम के उस

NOTICE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 29th June 2017 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/ laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on



भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों लागू विधि मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़ / विवरणिका / और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या / और / या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमियादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को अधिकतम **₹5000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), अधिनियम की धारा 3 (2 ख) के अनुसार अथवा** सशोधन यदि कोई हो, के अनुसार बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी के साथ बैंक की अधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर होगी जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रंता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर / बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों / दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।

संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम सेबी विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा / हामीदारों तथा / अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य / मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों,

firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, may be issued for an amount not exceeding ₹5000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the bank as per section 3 (2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank (as per the extant prevailing directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/other securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Private Placement, Qualified Institutional Placement, or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and



नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृति (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में, बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर या वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो और जो अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (भारत सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार) अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में :

क) सेबी आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही आहर्ता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसे प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

ख) सेबी आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुकरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बट्टे पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।”

where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank, (as per the extant prevailing directive of Government of India) to Qualified Institutional Buyers (QIBs) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

- the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of



“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इश्यू आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिशेषित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों /प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, एनआरआई, एफआईआई तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को इश्यू और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू कुल सीमा के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैटर्क) विनियम 1988 यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर /अधिमानी शेयरों/ प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतद्वारा सार्वजनिक ऑफर, राइट इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझे, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।”

यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा वही संचालक (कों), अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर(ओं), हमीदार(ओं), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(ओं), लेखा परीक्षक(ओं) और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी/ अधिमानी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यों में शामिल हों या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाती, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य— निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत

not more than five percent on the floor price.

- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, rights issue, qualified institutional placement, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ other securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements



किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ फार्म तथा इश्यू की शर्तें समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों/वॉरंट अधिकार/प्रतिभूतियों के भुगतान/रुपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या/अधिमानी शेयरों अथवा रुपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रद्द, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम /रुपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रुपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा वही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और /अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां जो शेष रह गई हैं, उनके बारे में बोर्ड जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक/(कों) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares /preference shares/other securities are to be allotted, number of equity shares /preference shares/other securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ conversion of securities/exercise of warrants/redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares / preference shares/other securities as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

By the order of the Board of Directors

स्थान: गुरुग्राम

अनिमेष चौहान

Place: Gurugram

Animesh Chauhan

दिनांक: 12.05.2017

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Date: 12.05.2017

Managing Director & CEO



टिप्पणियाँ:-

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें मद सं. 2 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न हैं।

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी का कोई भी लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न फॉर्म 'बी' पर न हो। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु महाप्रबंधक (एमबीडी) को संबोधित प्रॉक्सी फार्म कार्यालय समय की समाप्ति से पहले अर्थात् 23 जून, 2017 को शुक्रवार 5.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति) तक हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेरा, नई दिल्ली-110001 स्थित प्रधान कार्यालय अथवा प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001 स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट/निकाय जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया है, द्वारा सत्यापित न कर दी गयी हो, बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले अर्थात् 23 जून, 2017 को शुक्रवार 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय (उपरलिखित) में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक/प्रॉक्सी धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर "प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि" लिखेंगे। ऐसे प्रवेश पत्रों को मतपत्र प्राप्त करने के लिए ले लिया जाएगा।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

23वीं वार्षिक आम बैठक हेतु बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर

NOTES:-

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.2 of the Notice is annexed below.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the bank. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Annual Report. The proxy form addressed to General Manager (MBD) in order to be effective must be received at the Bank's Head Office situated at Harsha Bhawan, E Block, Connaught Place, New Delhi -110001 or Corporate Office of the Bank situated at Plot No.5, Sector 32, Institutional Area, Gurugram -122001 on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Friday, the 23rd June, 2017. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of any company/entity which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank (as given above) before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 23rd June, 2017.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS - CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June 2017 to 29th June 2017



अंतरण बही 23 जून, 2017 से 29 जून, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

5. मताधिकार

अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ड) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियमों के नियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

उपरोक्त के अध्यक्षीन, शेयर धारक के रूप में बृहस्पतिवार, 22 जून, 2017 (रिमोट ई-वोटिंग एवं मतपत्र के द्वारा मतदान दोनों के लिए शेयरधारकों के मताधिकार के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि) तक अथवा उससे पहले पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

(I) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

सेबी सूचीकरण विनियमों एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 अथवा उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में बैंक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए सहमत हैं। एजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से (रिमोट ई-वोटिंग हेतु) मतदान किया जा सकता है। सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

कृपया नोट करें कि बैठक में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों के लिए मतदान का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग पहले नहीं किया है।

जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व ही ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है, बैठक में शामिल हो सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जो नोटिस जारी करने के बाद बैंक के शेयर प्राप्त करता है और अंतिम तिथि अर्थात् 22 जून, 2017 को शेयर धारण कर रहा है, ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित समान प्रक्रिया को अपना सकता है।

शेयरधारकों के लिए निर्देश

- (i) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 26 जून, 2017 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर बुधवार, 28 जून, 2017 को (सांय 5.00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि में 22 जून 2016 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने

(both days inclusive) for the purpose of the 23rd Annual General Meeting.

5. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Thursday, 22nd June, 2017 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by Ballot Paper at the venue of the AGM) shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

(I) VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In compliance with provisions of the Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means. The business may be transacted using an electronic voting system to cast vote from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). For this purpose, the Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the Remote e-voting platform for facilitating its shareholders to vote electronically.

Please note that the facility for voting shall also be made available at the venue of the meeting to those members attending the meeting who have not already exercised their voting right.

Members who have cast their vote by remote evoting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as on the cut off date ie 22nd June 2017, may follow the same procedure for evoting as mentioned in the Notice.

Instructions for the Shareholders

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, 26th June 2017 (09.00 am) and ends on Wednesday, 28th June 2017 (05:00 p.m.). During this period shareholders' of the Bank,



वाले बैंक सदस्य अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) शेयरहोल्डर रिमोट ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

(iii) शेयरहोल्डर पर क्लिक करें।

(iv) अपना यूजर आईडी दर्ज करें

क - सीडीएसएल के लिए: 16 अंक वाली लाभार्थी आईडी

ख - एनएसडीएल के लिए: 8 अंक वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंक वाली क्लाइंट आईडी

ग - मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।

(v) प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास डिमैट रूप में शेयर हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है तथा किसी अन्य कंपनी के लिए मतदान किया है, तो अपना मौजूदा पासवर्ड प्रयोग किया जाए।

(vii) यदि आप प्रथम बार यूजर हैं तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं।

	डिमैट रूप में तथा मूर्त रूप में शेयर धारक सदस्यों के लिए (अंतिम तिथि अर्थात् 22.06.2017 के अनुसार)
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 संख्या वाला शब्दांक वाला पैन नंबर दर्ज करें (डिमैट शेयर धारक तथा मूर्त रूप में शेयर धारक दोनों के लिए लागू) जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपागार के साथ अपने पैन नंबर अद्यतन नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि ई-वोटिंग में पैन संबंधी स्थान में मुद्रित क्रम संख्या का प्रयोग करें।
लाभार्थी बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि	लॉगिन करने के लिए लाभार्थी बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि (दिन माह वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें, जैसा कि आपके डिमैट खाते अथवा बैंक रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि दोनों विवरण निक्षेपागार अथवा बैंक के साथ दर्ज नहीं है, तो कृपया सदस्य आईडी / फोलियो नंबर लाभार्थी बैंक विवरण स्थान में भरें जैसा कि निर्देश (iv) में दिया गया है।

(viii) उक्त सूचनाएं ठीक प्रकार भरने के बाद, "submit" टैब पर क्लिक करें।

(ix) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे कम्पनी रालेक्शन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डिमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेन्यु पर पहुंचेंगे जिसमें उन्हें नई पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डिमैट धारक इस पासवर्ड को किसी अन्य कंपनी के संकल्प के लिए मतदान करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए वे मतदान करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते बैंक

holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22nd June 2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders would log on to the remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Next enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form (as on the cut off date ie 22.06.2017)
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on voting sheet as indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or the Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach "Password Creation" menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that Banks opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your



सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है। यह जोर देकर अनुशंसा की जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी व्यक्ति को न बताएं तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का भरसक प्रयास करें।

- (x) मूर्त रूप में शेयर धारक सदस्य, इस नोटिस में दिए गए संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के लिए ही विवरण प्रयोग किए जा सकते हैं।
- (xi) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के ईवीएसएन पर क्लिक करें जहां आपको मतदान करना है।
- (xii) मतदान पृष्ठ पर आप "संकल्प विवरण" देखेंगे और इसके सामने मतदान के लिए "हां/नहीं" का विकल्प है। जो भी आपको चुनना है, हां अथवा नहीं का विकल्प लें। हां विकल्प से तात्पर्य है कि आप संकल्प से सहमत हैं एवं नहीं विकल्प का अर्थ है कि संकल्प से सहमत नहीं है।
- (xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiv) संकल्प का चयन करने के बाद जब आपने मतदान करने का निर्णय ले लिया है तो "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स खुल जाएगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा अपना मतदान बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशोधित करें।
- (xv) एक बार आपके द्वारा अपने संकल्प पर मतदान की पुष्टि करने के बाद, आपको अपने मतदान को बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) वोटिंग पेज पर "क्लिक हिअर टू प्रिंट" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xvii) यदि कोई डिमैट खाता धारक अपना लॉगइन परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तो वह अपना यूजर आई डी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करे और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण को दर्ज करे।
- (xviii) शेयरधारक सीडीएसएल के एंड्राइड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध मोबाइल एप्प एम-वोटिंग का प्रयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल एवं विंडोज फोन प्रयोगकर्ता क्रमशः एप्प स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से एप्प डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल से मतदान करते समय कृपया दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- (xix) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी
 - गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करके स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति, जिस पर मुहर तथा हस्ताक्षर हों, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जाए

password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of ORIENTAL BANK OF COMMERCE on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on *Forgot Password* & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The "m-Voting app" can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**
- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.



- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन एवं पासवर्ड प्रयोग करके अनुपालन यूजर बनाया जाए। अनुपालन यूजर उस/उन खाते/तों को लिंक करने में सक्षम होगा, जिनके लिए उसे मतदान करना है।
- लॉग-इन में लिंक किए खातों को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल किया जाए और खातों के लिए अनुमोदन प्राप्त होने पर वे मतदान करने में सक्षम होंगे।
- मण्डल के संकल्प तथा उनके द्वारा अभिरक्षक के पक्ष में जारी की गई पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) यदि कोई हो, की स्कैन प्रति पीडीएफ फॉर्मेट में अंकेक्षक द्वारा सत्यापन करने हेतु सिस्टम में अपलोड की जाए।
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मुद्दे के लिए आप www.evotingindia.com सहायता सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं। (संपर्क नं - 18002005533)

(xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com (Contact No. - 18002005533.)

(II). संकल्प जिस पर मतदान किया जाना है, पर चर्चा के पश्चात् मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा बैठक में उपस्थित रहने वाले सदस्य, जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है मतपत्र के माध्यम से बैठक में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसे सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, जिन्होंने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, किंतु पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

(II). The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through "Ballot Paper". The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM **but shall not be entitled to cast their vote again.**

(III). निष्पक्ष तथा पारदर्शी रिमोट-ई-वोटिंग तथा मतदान प्रक्रिया के लिए श्री अमित गुप्ता (सी.पी.सं.4682) कार्यरत कंपनी सचिव को, बैठक में (बैठक में होने वाले मतदान के लिए) अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। आम बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद अंकेक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे तथा जिसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्षियों जो बैंक द्वारा नियोजित न हों के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को खोलेंगे तथा एजीएम की समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर पक्ष या विरोध, यदि कोई हो, में डाले गए कुल वोटों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।

(III). Mr. Amit Gupta (C.P No. 4682) Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for the remote e-voting and Poll process. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the Meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than forty eight hours of the conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों को घोषित कर दिए जाने के बाद घोषित परिणामों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ तत्काल बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा इन परिणामों को तत्काल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा।

The Results alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.



6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा अधिनियम की धारा 10ख के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2009-10 से संबंधित ऐसे अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में 29.07.2017 को अंतरित कर दिया जाएगा।

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2009-10 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कराने के लिए 20.07.2017 बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। दावा न किए जाने की स्थिति में, अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष राशि आई ई पी एफ में अंतरित कर दी जाएगी।

मद संख्या - 2 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

पूंजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

इस समय बैंक की अधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹346.17 करोड़ है। बासेल-III पूंजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना के अनुसार, बैंक वर्ष 2017-18 के दौरान, फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ प्राइवेट प्लेसमेंट/राइट इश्यू/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा मण्डल या बैंक के मण्डल की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप इसी प्रकार के इश्यू के माध्यम से ₹5000 करोड़ की पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाना चाहता है, जो अधिकृत पूंजी की सीमा के अधीन होगा।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुपालन में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपाति आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं। यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा अनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

प्रस्तावित विशेष संकल्प निदेशक मंडल (बोर्ड) के सदस्यों से, पब्लिक आफर, राइट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट अथवा ऐसे अन्य इश्यू, जिन्हें बाजार की स्थितियों, कानून व प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुरूप मण्डल अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, बशर्ते इसे केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी का अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त हो और बैंक में भारत सरकार की किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी 52% से कम न हो (भारत सरकार के मौजूदा निर्देशानुसार), द्वारा इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों को

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2009-10 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 29.07.2017.

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2009-10 are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for claiming the same by 20.07.2017. If not claimed, the balance remaining outstanding in the unpaid dividend account will be transferred to IEPF.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.2

Capital Raising Programme of the Bank

The Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹346.17 crore. In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and to fund general business needs of the Bank, the Bank proposes to raise capital. As per the Capital Plan approved by the Board of Directors, the Bank intends to raise capital during FY 2017-18, amounting to ₹5000 crore (including share premium), subject to the ceiling of the Authorised Capital, through issue of shares in the form of Follow on Public Offer (FPO) / Private Placement/ Rights Issue / Qualified Institutional Placement (QIP) or such other issue as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Members, to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Private Placement, Qualified Institutional Placement or such other issue as the Board may in its absolute discretion think fit depending upon market conditions, pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank



बनाने, प्रस्ताव, इश्यू, आबंटन करने के लिए, बिना किसी अगले अनुमोदन के सदस्यों को प्राधिकृत करने की अनुमति चाहता है।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार क्यूआईपी के लिए संकल्प की वैधता 12 माह तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन लिए बिना सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट लाए। क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उसी श्रेणी के सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। "संगत तारीख" का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है।

चूंकि प्रस्ताव के मूल्य आगे की तिथि के अलावा, निर्धारित नहीं किए जा सकते अतः जारी किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों के मूल्य बताना संभव नहीं है। प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार स्थितियों तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

आबंटित किए गए इक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे। इस उद्देश्य हेतु विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशक मंडल सूचना की संख्या 3 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

अन्य जानकारियां

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर लिंक इन्टाइम प्रा. लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

of India, SEBI and other required approvals and subject to the shareholding of Govt. of India not falling below 52% of the paid-up equity share capital of the Bank (as per the extant prevailing directive of Government of India).

In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 12 months for QIP. The above Special Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with qualified institutional buyers under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue, the issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the same class quoted on the stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of the shares/ securities to be issued. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in Item No.2 of the Notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.



- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. को भेजें।
- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ईमेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त (डिमाट) रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसके साथ बैंक की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/डिपोजिटरी सहभागियों/आरटीए के पास संप्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस प्रति, जिसमें ई-वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।
- सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट <https://www.obcindia.co.in> पर डाऊनलोड हेतु उपलब्ध है। ई-रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों को डाक द्वारा निःशुल्क पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं या इसके लिए बैंक के ई-मेल आईडी: mdbd@obc.co.in पर या बैंक के आरटीए में delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध करना होगा।
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. for consolidation into single folio.
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2016-17 inter alia containing Notice of the 23rd Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s) / RTA for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2016-17 inter alia containing Notice of the 23rd Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank inter alia containing the notice of the AGM for FY 2016-17 will also be available on the Bank's website <https://www.obcindia.co.in> for download. Even after registering for e-communication, members can request for a hard copy of Full Annual Report, free of cost by post or by sending an email to the Bank's email id: mdbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.